न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

सत्रवाद संख्या – 716 / 2025

सरकार बनाम बेचु यादव व अन्य

(आदेश की तिथि – 15.04.2026)

फार्म – ए

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

(आदेश की तिथि–15.04.2026)

(सत्रवाद संख्या–716 / 2025, कम्प्यूटर निबंधन संख्या–278 / 2025, बगहा थाना कांड संख्या–71 / 1999, जी0आर0 कमांक–234 / 1999 से उत्पन्न अपराधिक प्रकरण में न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बगहा के उपार्पण आदेश दिनांक 29.07.2025 से यह सत्र प्रकरण उद्भूद हुआ है।)

परिवादी / अभियोजक	**बिहार राज्य (द्वारा, योगेन्द्र पासवान थाना प्रभारी बगहा, थाना–बगहा, जिला–पश्चिम चम्पारण।)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री प्रभु प्रसाद, विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	**(1) बेचु यादव, पिता–स्व. शंक यादव, उम्र लगभग–47 वर्ष, निवासी ग्राम–चण्डी स्थान, थाना–बगहा, (2) मो0 हारूण, पिता–स्व. मो0 भुखल, उम्र लगभग–56 वर्ष, निवासी ग्राम–नैनाहा, थाना–धनहा, (3) भागीरथी चौधरी, पिता–स्व. ब्रह्मदेव चौधरी, उम्र लगभग–43 वर्ष, निवासी ग्राम–गांधी नगर, थाना–बगहा, सभी जिला–पश्चिम चम्पारण।**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री शैलेश कुमार तिवारी, विद्वान अधिवक्ता

फार्म – बी

घटना की तिथि	23.03.1999
प्राथमिकी की तिथि	23.03.1999
आरोप–पत्र की तिथि	22.06.1999, 28.05.2002
आरोप गठन की तिथि	14.11.2025
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	27.11.2025
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	01.04.2026
निर्णय तिथि	15.04.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	**दोषमुक्त**

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धाराऍं	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	बेचु यादव	25.03.1999	22.08.2008	धारा 379,307 भा.दं.वि., धारा 27 शस्त्र अधिनियम	दोषमुक्त	.....	.....
2.	मो0 हारूण	25.03.1999	24.04.1999	उक्त	दोषमुक्त	.....	.....
3.	भागीरथी चौधरी	06.05.2002	22.07.2002	उक्त	दोषमुक्त	.....	.....

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

सत्रवाद संख्या – 716/2025

सरकार बनाम बेचु यादव व अन्य

(आदेश की तिथि – 15.04.2026)

आदेश

1. सभी तीन अभियुक्तगण बेचु यादव, मो0 हारून एवं भागीरथी चौधरी की हाजिरी दी गई। अभिलेख आज धारा 232 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार तिवारी एवं अभियोजन के तरफ से विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक श्री प्रभु प्रसाद उपस्थित हुए।

2. प्रस्तुत वाद के सूचक योगेन्द्र पासवान, पु.अ.नि. सह थानाध्यक्ष बगहा द्वारा दिये गये स्वतः लिखित बयान के आधार पर संस्थित इस केस का अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.1999 को सुबह साढ़े आठ बजे थाना पर अफवाहन सूचना मिली कि ग्राम भतौड़ा के पास नहर पर से कुछ लोग ट्रैक्टर टॉली लगाकर रायफल, बंदुक से लैश होकर लकड़ी काटकर ले जा रहे थे जिसपर गांव के लोग पुछताछ किये तो लकड़ी चोर ग्रामीणों पर रायफल, बंदुक से जानलेवा हमला कर दिये और लकड़ी लेकर चले गये। इस आशय का सनहा दैनिकी संख्या–488 समय 08.30 बजे दर्ज करके सूचक पुलिस जीप व अन्य पुलिस बल के साथ ग्राम भतौड़ा पहुँचा जहॉ ग्रामीणों से पुछताछ करने के बाद भतौड़ा नहर पुल से पश्चिम करीब जाकर देखा तो पाया कि दक्षिणी बांध पर का दोनों सेमल का पेड़ जड़ से करीब तीन फीट उपर से कटा हुआ है जो कि ताजा है जिसमें एक पेड़ की मोटाई छः फीट तथा दूसरे पेड़ की मोटाई पॉच फीट है जिसका कीमत करीब 25 हजार रूपया होगा। भतौड़ा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बीते रात करीब एक–दो बजे के बीच में गांव के कुल लोग बारात से लौट रहे थे तो पुल के पश्चिम से बांध के नीचे से एक ट्रैक्टर टॉली जिसे भागीरथी यादव चला रहा था, पर लकड़ी लादे कुछ लोग आ रहे थे। गांव के लोगों द्वारा पुछताछ पर शंकर यादव, रंगलाल यादव, हारूण मियां, बेचू यादव रायफल, बंदुक से आठ–दस फायर किये जिससे गांव के लोग बाल–2 बचे।

3. सूचक द्वारा दिये गये स्वतः लिखित बयान के आधार पर बगहा थाना कांड संख्या–71/99 दिनांक 23.03.1999, अभियुक्तगण शंकर यादव, रंगलाल यादव, हारूण मियां, बेचू यादव और भागीरथी के विरूद्ध धारा 379,307,34 भा.दं.वि. एवं 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया तथा कांड अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र संख्या–95/99 दिनांक 22.06.1999, अभियुक्तगण रंगलाल यादव और मो0 हारूण के विरूद्ध धारा 379,307,34 भा.दं.वि. एवं 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत शेष अभियुक्तों के विरूद्ध पुरक अनुसंधान जारी रखते हुये समर्पित किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा पुरक आरोप पत्र संख्या–89/02 दिनांक 28.05.2002, अभियुक्त शंकर यादव को मृत, अभियुक्त बेचु यादव को फिरार दिखाते हुये अभियुक्त भागीरथी चौधरी के विरूद्ध धारा 379,307,34 भा.दं.वि. एवं 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत समर्पित किया गया जिसके आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण बेचु यादव, भागीरथी यादव, रंगलाल यादव और मो0 हारूण के विरूद्ध घटना का संज्ञान लिया गया। दिनांक 29.07.2025 को चारों अभियुक्तों का वाद दौरा सुपुर्द कर विचारण हेतु सत्र न्यायालय बेतिया भेजा गया। स्थानांतरण पश्चात् यह वाद इस न्यायालय को निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ। एक अभियुक्त रंगलाल यादव की लगातार अनुपस्थिति के

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

सत्रवाद संख्या – 716 / 2025

सरकार बनाम बेचु यादव व अन्य

(आदेश की तिथि – 15.04.2026)

कारण दिनांक 30.10.2025 के आदेश से उसका वाद इस वाद से पृथक कर दिया गया तथा यह वाद शेष तीन अभियुक्तों बेचु यादव, मो0 हारून एवं भागीरथी चौधरी के विरूद्ध चलने लगा।

4. दिनांक 14.11.2025 को तीनों अभियुक्तों बेचु यादव, मो0 हारून एवं भागीरथी चौधरी के विरूद्ध धारा 379,307,34 भा.दं.वि. एवं 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया, जिसकी सत्यता से अभियुक्तों ने इंकार किया व विचारण की मांग की।

5. वाद विचारण के क्रम में अभियोजन द्वारा कुल छः साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है परन्तु अभियोजन इस वाद के सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित आरोप पत्र में नामित अन्य साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी छः साक्षीगण घटना के बारे में कोई भी जानकारी होने से इंकार किये हैं तथा पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। अभियोजन को साक्षीगण के उपस्थापन हेतु अंतिम अवसर मिलने पश्चात् दिनांक 12.03.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया।

6. अभियुक्तगण के तरफ से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन के ओर प्रस्तुत किये गये सभी छः साक्षीगण घटना का समर्थन नहीं किये हैं तथा पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। इस तरह अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। आगे वह अभियुक्त को धारा 232 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दोषमुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

7. अभियोजन के ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता के कथन का विरोध नहीं किया गया एवं औपचारिक बहस किया गया।

8. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के समर्थन में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह न्यायालय अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध कर सके। अतः अभियुक्तगण बेचु यादव, मो0 हारून एवं भागीरथी चौधरी को **दं0प्र0सं0 की धारा 232** के अंतर्गत **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण को उनके प्रतिभूओं के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है। कार्यालय, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

Sd/-
(मनीष द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिमी चम्पारण।
15.04.2026